

न्यायालय उप जिलाधिकारी सदन बरेली ।

वाद सं० 12 /08-09

धारा 143 जेड.ए.एल.आर.एक्ट
ग्राम रिठौरा परगना तहसील बरेली ।

ईश्वरी प्रसाद बनाम सरकार

निर्णय

=====

एस.एस.डी. एजुकेशनल वेलफेयर सोसायटी रजि० 167/4 जनकपुरी बरेली द्वारा अध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद पुत्र श्री मोहन लाल नि० 1219 तिलक कालौनी सुभाषनगर बरेली की ओर से एक प्रार्थना पत्र धारा 143 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया जिसकी जांच तहसीलदार सदर से कराया गया तहसीलदार सदर ने अपनी जांच आख्या में अंकित किया है कि ग्राम रिठौरा के गाटा सं० 839 क्षेत्रफल 0.339 तथा 840 क्षेत्रफल 0.291 पर एस.एस.डी. एजुकेशनल वेलफेयर सोसायटी रजिस्टर्ड 167/4 जनकपुरी द्वारा अध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद पुत्र मोहन लाल नि० 1219 तिलक कालौनी सुभाषनगर व विजय कुमार गुप्ता पुत्र स्व० नरेन्द्र पाल आजाद नि० मो० गजपुरैना हाल तहसील आवला का नाम अंकित है पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है वर्तमान में उक्त गाटा सं० पर वाउन्ड्री बनी है तथा निर्माण कार्य चल रहा है । सम्बन्धित भूमि पर कुक्कुट पालन आदि का कार्य नहीं हो रहा है ग्राम चक्कन्दो प्रक्रिया में नहीं है एवं सम्बन्धित आराजी पर कोई विवाद किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है अतः अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की है ।

वाद दर्ज किया गया प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया तहसीलदार की आख्या एवं खातेदार के प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के आधार पर उपरोक्त गाटा सं० एवं क्षेत्रफल को अकृषिक घोषित किया जाना न्यायोचित होगा ।

आदेश

=====

अतः तहसीलदार सदर की आख्या से सहमत होते हुए ग्राम रिठौरा परगना तहसील बरेली के गाटा सं० 839 रकबा 0.339 व 840 रकबा 0.291 हे० भूमि को अकृषिक घोषित किया जाता है । आदेश की एक प्रति सब रजिस्ट्रार को भेजी जाये तथा वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दालिद दफ्तर को जाये ।

दिनांक :- 20/12/08
For SSD Educational Welfare Society

Secretary/Manager

President

उप जिलाधिकारी

उप जिलाधिकारी सदन बरेली ।

Sd/- 20/12/08

